

सं0-२३५/ 43-2-2009

प्रेषक,

अनीता सिंह,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग -2

लखनऊः दिनांक 21 दिसम्बर, 2009

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभागों में प्रत्येक माह में
लम्बित / निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की सूचना प्राप्त करने विषयक।
महोदय,

कृपया मुख्य सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र सं0-1231/43-2-2008, दिनांक 01
दिसंबर, 2008 तथा प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं0
371/43-2-2009, दिनांक 17 मार्च 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त लम्बित एवं निस्तारित आवेदन
पत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संकलित सूचना
प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने विषयक है।

2— माह नवम्बर, 2009 तक प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा किये जाने पर यह पाया गया
कि सचिवालय स्तर पर निर्धारित तिथि तक केवल दस विभागों द्वारा सूचनायें प्रेषित की
गई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके विभाग के जैसे सूचना अधिकारियों द्वारा इसे
गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। बहुधा यह भी प्रकाश में आया है कि विभागाध्यक्ष/
मण्डल स्तरीय/जनपदीय कार्यालयों द्वारा सीधे सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को
प्रेषित की जाती है जिसके कारण सूचनाओं के संकलन में कठिनाई होती है। इसके
अतिरिक्त सूचनायें निर्धारित तिथि, प्रत्येक माह की 10 तारीख, के पश्चात प्राप्त होती हैं।
क्षमता पर्याप्त विभागों द्वारा त्रुटिपूर्ण सूचनायें प्रेषित की जाती हैं।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग में
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त, लम्बित एवं निस्तारित आवेदन
पत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुये प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संकलित सूचना
निर्धारित प्रारूप में प्रशासनिक सुधार विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का
कष्ट करें।


(अनीता सिंह)
सचिव।